

मध्यप्रदेश विधान सभा



नवम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 (कार्तिक 14, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति,
- (2) श्री परसराम भारद्वाज, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (3) श्री जगन्नाथ सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (4) श्री सुखलाल कुशवाहा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (5) श्री हीरालाल मालवीय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री कालूराम खटीक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) महंत स्वामी श्री उमेश मुनि, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (8) श्री धीरज सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री रतन पाटौदी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) श्री मुनीराम साहू, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री रवीन्द्र जैन, सुप्रसिद्ध संगीतकार,
- (12) हरदा जिले में हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति,
- (13) झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति.

2. जुलाई, 2015 सत्र की दिनांक 23 जुलाई, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां पटल पर रखा जाना.

3. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

4. सभा की सदस्यता से त्याग पत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65 – मैहर से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण त्रिपाठी के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान त्याग करने की सूचना.

5. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) का उपस्थापन करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा.

7. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 12, 13, 17, 22, 29, 36, 41, 57, 58, 64 एवं 74 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार चार सौ सात करोड़, चौबीस लाख, इक्यासी हजार आठ सौ चालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.”.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भोपाल :
दिनांक : 4 नवम्बर, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

*अनुपूरक मांगों (विशेष) का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.